



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार 26 मई, 1979
ज्येष्ठ 5, 1901 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1274/सत्रह-वि०-1-38-1979
लखनऊ, 26 मई, 1979

अधिसूचना
विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1979 पर दिनांक 21 मई, 1979 ई० की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1979 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनायें इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1979

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1979)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935, उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 और उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तीसरे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1979 कहा जायगा।

(2) धारा 2 और 3 के उपबन्ध 9 अप्रैल, 1979 को प्रवृत्त समझे जायेंगे, धारा 4 और 5 के उपबन्ध 1 मई, 1979 को प्रवृत्त समझे जायेंगे और शेष उपबन्ध तत्काल प्रवृत्त होंगे।

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

संयुक्त प्रान्त
अधिनियम संख्या
5 सन् 1935 को
धारा 5 का
संशोधन

2—संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 की धारा 5 में उपधारा (1) में, द्वितीय प्रतिबन्धार्थक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धार्थक खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

“अप्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी कलेन्डर वर्ष से संबंधित किसी अवधि के संबंध में ऐसे कलेन्डर वर्ष में पन्द्रह जनवरी के पश्चात् किसी दिनांक से धारा 4 या प्रथम अनुसूची में किये गये किसी संशोधन द्वारा कर की दर बढ़ायी जाय या कर का नया दायित्व सृजित किया जाय, वहां धारा 4 या अनुसूची के, जैसी कि वह ऐसे संशोधन के पूर्व थी, उपबन्धों के अनुसार किसी अवधि के लिये देय कर की धनराशि और धारा 4 या अनुसूची के, जैसा कि वह ऐसे संशोधन के पश्चात् हो, उपबन्धों के अनुसार ऐसी अवधि के लिये देय कर की धनराशि के अन्तर का या, यथास्थिति, ऐसे नये दायित्व की धनराशि का, भुगतान, उस वर्ष के जिसमें ऐसा संशोधन प्रवृत्त हो, ठीक आगामी वर्ष के इकतीस मार्च को या उसके पूर्व किया जा सकता है।”

संक्रमणकालीन
उपबन्ध

3—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 के अधीन कर की दर उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा किये गये संशोधनों से बढ़ा दी गई है या कर का कोई ऐसा नया दायित्व सृजित किया गया है, वहां वर्ष 1978 के संबंध में किसी अवधि के लिए, ऐसा संशोधन किये जाने के पूर्व और उसके पश्चात् देय कर की धनराशियों के अन्तर, या, यथास्थिति, ऐसे नये दायित्व की धनराशि का भुगतान 30 जून, 1979 को या उसके पूर्व किया जा सकता है।

उ० प्र० अधि-
नियम संख्या 8
सन् 1962 की
धारा 3 का
संशोधन

4—उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) अधिनियम, 1962 की धारा 3 में, उपधारा (2) में, शब्द “पन्द्रह प्रतिशत” के स्थान पर शब्द “बीस प्रतिशत” रख दिये जायेंगे।

उ० प्र० अधि-
नियम संख्या 15
सन् 1964 की
धारा 2 और 3
का संशोधन

5—उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल कर) अधिनियम, 1964 में,—

(क) धारा 2 में, खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

“(छ) ‘सार्वजनिक माल वाहन’ का तात्पर्य माल ले जाने के प्रयोग के लिए, पूर्णतः या अंशतः निर्मित या अनुकूलित किसी मोटर गाड़ी से है, या किसी ऐसी मोटर गाड़ी से है जो इस प्रकार निर्मित या अनुकूलित न हो लेकिन उसका प्रयोग किराये पर या पारितोषिक लेकर केवल माल या यात्रियों के साथ-साथ माल ले जाने के लिये किया जाय, और इसके अन्तर्गत ट्रेलर भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत कोई मोटर कैब, या ठेका गाड़ी, या यात्री गाड़ी नहीं है जब ऐसी ठेका गाड़ी या यात्री गाड़ी को सीमित मात्रा में बोझ डोने के लिये प्राधिकृत किया गया हो।

स्पष्टीकरण—‘सीमित मात्रा में बोझ’ का तात्पर्य परिवहन आधुक्त द्वारा अवधारित सीमा से अनधिक बोझ की ऐसी मात्रा से है जिसे रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी किसी वाहन के संबंध में रजिस्ट्री के प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट करे।”;

(ख) धारा 2 में खण्ड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

“(ट) ‘जुड़वा गाड़ी’, ‘मोटर कैब’, ‘मोटर कार’, ‘मोटर गाड़ी’, ‘यात्री गाड़ी’, ‘ठेका गाड़ी’, ‘ट्रेलर’ और ‘अनुज्ञा-पत्र’, के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो मोटर वेहिकल्स ऐक्ट, 1939 में पद ‘आरटीकुलेटिड वेहिकल’, ‘मोटर कैब’, ‘मोटर कार’, ‘मोटर वेहिकल’, ‘स्टेज करेज’, ‘कन्ट्रैक्ट करेज’, ‘ट्रेलर’ और ‘परमिट’ के लिए दिये गये हैं;”

(ग) धारा 3 में, उपधारा (2) में, अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्—

“और एक या एकाधिक संभार के लिये अनुज्ञा-पत्र रखने वाले किसी सार्वजनिक माल वाहन में ले जाये जाने वाले माल के लिये विभिन्न दर की विज्ञप्ति की जा सकती है।”

निरसन और
प्रपवाद

6—(1) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर एवं माल-कर) (संशोधन) अध्यादेश, 1979 और उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1979 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथा संबंधित धारा 2, 4 और 5 में निर्दिष्ट मूल अधिनियमों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संबंधित ऐसे मूल अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

UTTAR PRADESH SARKAR

VIDHAYIKA ANUBHAG-I

No. 1274/XVII-V-1—38-1979

Dated Lucknow, May 26, 1979

NOTIFICATION

Miscellaneous

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Motor Gadi Karadhan Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1979 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya-16 of 1979, as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 21, 1979:

THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES TAXATION LAWS
(AMENDMENT) ACT, 1979

[U. P. ACT NO. 16 OF 1979]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

Further to amend the United Provinces Motor Vehicles Taxation Act, 1935, the Uttar Pradesh Motor Gadi (Yatri-kar) Adhiniyam, 1962 and the Uttar Pradesh Motor Gadi (Mal-kar) Adhiniyam, 1964.

IT IS HEREBY enacted in the Thirtieth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Laws (Amendment) Act, 1979.

Short title and commencement.

(2) The provisions of sections 2 and 3 shall be deemed to have come into force on April 9, 1979, the provisions of sections 4 and 5 shall be deemed to have come into force on May 1, 1979 and the rest of the provisions shall come into force at once.

2. In section 5 of the United Provinces Motor Vehicles Taxation Act, 1935, in sub-section (1), for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

Amendment of section 5 of U.P. Act no. 5 of 1935.

"Provided further that, where the rate of the tax is increased or a new liability of tax is created, in respect of any period relating to a calendar year, by any amendment made in section 4 or the First Schedule with effect from a date after the fifteenth day of January in such calendar year, the difference between the amount of the tax payable for any period in accordance with the provisions of section 4 or the schedule as it stood before such amendment and the amount of tax payable for such period in accordance with the provisions of section 4 or the schedule as it stands after such amendment, or the amount of such new liability, as the case may be, may be paid on or before the thirty-first day of March of the year immediately following the year in which such amendment came into force."

3. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, where the rate of the tax under the United Provinces Motor Vehicles Taxation Act, 1935 has been increased or a new liability of such tax has been created by the amendments made in that Act by the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 1978 the difference between the amounts of the tax payable before and after such amendment, or the amount of such new liability, as the case may be, for any period relating to the year 1978, may be paid on or before the thirtieth day of June, 1979.

Transitory provision.

4. In section 3 of the Uttar Pradesh Motor Gadi (Yatri-Kar) Adhiniyam, 1962, in sub-section (2), for the words "fifteen per cent", the words "twenty per cent" shall be substituted.

Amendment of section 3 of U.P. Act no. 8 of 1962

Amendment of sections 2 and 3 of U. P. Act no. 15 of 1954.

5. In the Uttar Pradesh Motor Gadi (Mal-Kar) Adhiniyam, 1964—

(a) in section 2, for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:—

“(g) ‘public goods vehicle’ means any motor vehicle constructed or adopted, wholly or partly for use for the carriage of goods, or any motor vehicle not so constructed or adapted when used for the carriage of goods, solely or in addition to passengers, for hire or reward and includes a trailer, but does not include a motor cab or a contract carriage or stage carriage where such contract or stage carriage is authorised to carry a limited quantity of load.

Explanation—‘limited quantity of load’ mean such quantity of load not exceeding the limits determined by the Transport Commissioner, as the Registering Authority may specify in the registration certificate in respect of a vehicle.”;

(b) in section 2, for clause (k), the following clause shall be substituted, namely:—

“(k) the expressions ‘articulated vehicle’, ‘motor cab’, ‘motor car’, ‘motor vehicle’, ‘stage carriage’, ‘contract carriage’, ‘trailer’ and ‘permit’ shall have the meanings assigned to them respectively in the Motor Vehicles Act, 1939.”;

(c) in section 3, in sub-section (2), the following words shall be inserted in the end, namely:—

“and different rates may be notified for goods carried in a public goods vehicles holding permit for one or more than one region.”

Repeal savings.

and

6. (1) The Uttar Pradesh Motor Gadi (Yatri-kar Evam Mal-kar) (Amendment) Ordinance, 1979 and the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Ordinance, 1979 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under any of the principal Acts referred to in sections 2, 4 and 5 as amended by the Ordinances referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of such principal Acts as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.

U. P.
dina
no. 11
1979
1979.